

बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद का 194वां बजट सत्र)

27 फरवरी 2020

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह] .

17

पेंशन की राशि कब तक

*40 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखण्ड में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन और विकलांग पेंशन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 में 3000 (तीन हजार) व्यक्तियों के नाम चयनित कर स्वीकृति हेतु विभाग को वर्ष 2019 के आरम्भ में ही प्रखंड द्वारा भेज दिया गया, लेकिन अभी तक लाभार्थी के बैंक खाते में राशि नहीं पहुँची है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस विलम्ब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

जमीन कब तक

*41 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूरे देश को झकझोर देनेवाला निर्भया कांड नई दिल्ली में 2012 में घटा था, इसके बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समेकित हेल्पलाइन नंबर डायल-112 शुरू करने की योजना तैयार की गई थी ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार समेत सभी राज्यों में 2013 से इसकी कवायद शुरू की गई, परन्तु पूरे देश में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां अबतक इसकी कोई पहल तक नहीं हुई है ;

(ग) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को निर्भया फंड से करीब 13 करोड़ रुपये भी दिए गए जिसके खर्च नहीं होने के कारण आगे आवंटन नहीं मिला ;

(घ) क्या यह सही है कि डायल-112 को स्थापित और मोनिटरिंग करने के लिए 8 हजार 640 वर्ग फुट जगह की जरूरत है, लेकिन छः साल में विभाग इसके लिए जमीन तक नहीं खोज पायी है ;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जमीन मुहैया कराकर डायल-112 स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अपराध पर अंकुश

*42 Prof. Nawal Kishore Yadav (Patna Teacher):

Home क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि - (क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में लूट एवं छिनतई जैसी वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस लकीर पीटने तक ही सीमित रह गई है ; (ख) क्या यह सही है कि बीते 4 जनवरी को दीघा में भागमनी पेट्रोल पंप पर कर्मियों को बंधक बनाकर 50 हजार लूटकर बाइक पर सवार बदमाश भाग गये, 5 जनवरी को कदमकुंआ के उमा सिनेमा के समीप कागज कारोबारी कर्मियों से बदमाशों ने 4 लाख 50 हजार रुपये लूट लिये, उसी दिन नौबतपुर में गैस एजेन्सी के कर्मियों से 2 लाख 50 हजार रुपये, पत्रकार नगर स्थित हार्ट हॉस्पिटल के सामने सरिया कंपनी के कर्मियों से छः लाख रुपये लूट का अंजाम लुटेरों ने दिया तथा गांधी मैदान एवं एस.के.पुरी में महिलाओं से हुई छिनतई का मामला पुलिस के सामने आया, लेकिन पुलिस के ये दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं ; (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन वारदातों पर अंकुश लगाने तथा इस मामले में पुलिस तंत्र को मजबूत करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अनुग्रह अनुदान

*43 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

वित्त विभाग :-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है ;

(ख) क्या यह सही है कि अनुग्रह अनुदान देने के लिए बजट में एक अलग शीर्ष बनाया गया है जिसके कारण नियोजित शिक्षकों को प्रावधान होते हुए भी समय पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं हो पाता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सेवाकाल में मृत नियोजित शिक्षकों के परिजनों को उनके वेतन शीर्ष से ही 4 (चार लाख) रुपये का अनुग्रह अनुदान भुगतान करने का प्रावधान करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

कटाव विरोधी कार्य कबतक

*44 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा प्रखंड के बरौनी 02, निपनियां मधुरापुर पंचायत में गंगा के द्वारा कटाव होने से बिजली का दो टावर भी गिर चुका है ;

(ख) क्या यह सही है कि निपनियां मधुरापुर पंचायत अवस्थित गंगोत्री नरेश उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय गंगा कटाव के कारण गंगा में समाहित होने के कगार पर है ;

(ग) क्या यह सही है कि गंगा के किनारे बसे हुए उक्त दोनों पंचायतों के लगभग 12000 आबादी कटाव के मुहाने पर है, जिस पर खतरा मंडरा रहा है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र कटाव निरोधी कार्य करवाकर उक्त पंचायतों के लोगों को तथा सरकारी सम्पत्ति को बचाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सिंचाई हेतु बीयर का निर्माण

*45 डा. रामवचन राय (मनोनीत):

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखंडान्तर्गत ग्राम-मैनही-नौआबाखर हटनी गांव के बीच बिहुल नदी पर एवं छजना पंचायत के सखुआ गांव के बीच बिहुल नदी पर सुलिस गेट (बीयर) का निर्माण कराने के संदर्भ में मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ सं.-2018036467, दिनांक- 21.07.2018 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को आवश्यक निदेश दिया गया था ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों वर्णित स्थलों पर मध्यम सिंचाई योजना (बीयर) के निर्माणार्थ निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, परन्तु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी के कार्यपालक अभियंता का पत्रांक- 2577, दिनांक- 15.10.2019 के द्वारा निविदा अस्वीकृत कर दिये जाने के संबंध में सार्वजनिक रूप से अवगत कराया गया ;

(ग) क्या यह सही है कि अबतक इस संबंध में आगे की अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थलों पर सिंचाई हेतु बीयर का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*46 श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड की पिलखवाड़ पंचायत में खेसरा नं0-533, 534 एवं 535 में रकवा 145 डि0 के कब्रिस्तान में घेराबंदी नहीं रहने के कारण मवेशियों द्वारा कब्रिस्तान को दूषित एवं क्षतिग्रस्त किया जाता है, जिस कारण बराबर विवाद उत्पन्न होता रहता है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना चाहती है ?

आवंटन कबतक

*47 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मधुबनी जिलान्तर्गत पिछड़ा तथा अतिपिछड़ा वर्ग की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद आवंटन के अभाव में छात्र-छात्राओं का भुगतान आज तक लंबित है ;

(ख) क्या यह सही है कि प्रथम अपील प्रमंडल लोक शिकायत निवारण, दरभंगा तथा दूसरी अपील बिहार सरकार के विभागीय सचिव से करने के उपरांत 9811 छात्र-छात्राओं का आवंटन जिला को प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या यह सही है कि साठ प्रतिशत छात्र-छात्राओं का आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद आवंटन के अभाव में भुगतान अद्यतन लंबित है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा में सुधार व सहायता के उद्देश्य से चला रही योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर कराते हुए उक्त छात्र- छात्राओं का लंबित भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

एम.ए.सी.पी. कबतक

*48 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 12.09.2008 को विभागीय स्तर पर 'सर्विस ब्वाय' की नियुक्ति की गई थी जिनकी और जिनके बारह वर्ष से अधिक की सेवा पूरा करने के उपरांत भी एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन कर्मियों के प्रशिक्षित होने तथा 10 वर्षों की सेवा पूरी कर लेने के उपरांत एम.ए.सी.पी. का लाभ कबतक देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

शराब पर पूर्ण प्रतिबंध

*49 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है ;
- (ख) क्या यह सही है कि शराब प्रतिबंध के बाद भी बड़े पैमाने पर पुलिस और उत्पाद विभाग की मिलीभगत से बिक्री जारी है ;
- (ग) क्या यह सही है कि नालंदा जिला के हरनौत थाने में काफी मात्रा में शराब पकड़ी गई थी और पटना पुलिस लाइन में भी काफी मात्रा में खाली शराब की बोतल पकड़ी गई, साथ ही शराब एक राज्य से दूसरे राज्यों में पहुँचती रही है ;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ठोस कदम उठाना चाहती है ?

बांध की मरम्मती

***50 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार) :**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले के देकुली बांध से बेलवा घाट बांध तक के बीच के रिंग बांध की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण बाढ़ में कहीं-कहीं रिसाव की घटनाएं होती हैं ;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध में कहीं-कहीं ढाल नहीं रहने के कारण ग्रामीण को आने-जाने में कठिनाई होती है ;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देकुली बांध से बेलवा बांध तक रिंग बांध की मरम्मती कराते हुए सड़क का कालीकरण करने का विचार रखती है ?

दोषी पर कार्रवाई

***51 श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा) :**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि बाढ़ नियंत्रण संगठन, झंझारपुर के अन्तर्गत कमला-बलान

पूर्वी तटबंध के 97 कि.मी. विन्दु से 106 कि.मी. विन्दु तक तटबंध विस्तार की योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी ;

(ख) क्या यह सही है कि कमला-बलान पूर्वी तटबंध के 103 कि.मी. विन्दु से 106 कि.मी. विन्दु के बीच प्रस्तावित सुलिस गेट निर्माण कार्य भी निर्माण एजेन्सी की उदासीनता के कारण अधूरा पड़ा हुआ है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच कर दोषी ठीकेदार और तत्कालीन कार्यपालक अभियंताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्थानांतरण कबतक

*52 श्री तनवीर अख्तर (विधान सभा):

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि श्री सत्येन्द्र कुमार, कनीय लेखा लिपिक, सिंचाई प्रमंडल घोषी, जिला- जहानाबाद में दिनांक- 02.02.2009 से अबतक एक जगह में कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कर्मियों को एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रहने का नियम है और श्री कुमार, कनीय लेखा लिपिक के 11 वर्षों से एक जगह पर पदस्थापित रहने के कारण ये कार्य करने में मनमानी एवं लापरवाही बरतते हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सत्येन्द्र कुमार, कनीय लेखा लिपिक, सिंचाई प्रमंडल घोषी को, जिला- जहानाबाद से किसी दूसरे जिला में स्थानांतरित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

कड़ी कार्रवाई

*53 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड के खड़का उच्च विद्यालय स्थित कस्तूरबा स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में दिनांक- 07.02.2020 को नशे में धुत आधा दर्जन असामाजिक तत्वों द्वारा ग्रिल तोड़ घुसकर गार्ड एवं वार्डन के साथ मारपीट कर लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नानपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी के अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*54 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नं.- 58 के अन्तर्गत मुहल्ला-नेवाती टोला, गुलजारबाग (ईदगाह) में 229 डी. रकबा का (शीट नं.- 171, प्लॉट नं.-327) कब्रिस्तान है ;

(ख) क्या यह सही है कि इस कब्रिस्तान में असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन गाय-भैंस बांधा जाता है तथा इसमें गोबर रखने का स्थान भी बना दिया गया है जिससे कब्रिस्तान की पवित्रता भंग हो रही है जिसके कारण किसी भी क्षण अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है ;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की संवेदनशीलता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदों का सृजन कर नियुक्ति

*55 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार पुलिस के अंतर्गत लिपिक संवर्ग के झारखंड राज्य के बंटवारे के बाद कुल 800 स्वीकृत लिपिक के पदों पर मात्र लगभग 350 बल ही कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यपालक कोटि के बलों के सृजित पदों के अनुरूप 3 प्रतिशत लिपिक पदों का सृजन होने का नियमन एवं प्रावधान है ;

(ग) क्या यह सही है कि विगत 30 वर्षों के अंदर सभी पुलिसइकाई कार्यालयों में सरकार के निदेश पर कई शाखाएं यथा मानवाधिकार, त्वरित विचारण, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, जन शिकायत कोषांग एवं अन्य शाखाओं को खोला

गया है, जिससे लिपिक संवर्ग पर कार्य का बोझ बढ़ा है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस विभागइकाई के स्वीकृत रिक्त लिपिक पदों के साथ-साथ कार्यपालक कोटि के बल के अनुरूप 3 प्रतिशत लिपिकीय पदों का सृजन कर नियुक्ति करना सुनिश्चित करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उचित उपचार कबतक

*56 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार समय-समय पर पौधारोपण का कार्यक्रम चलाती है ;

(ख) क्या यह सही है कि पेड़ बड़े होने के दौरान रोगों से ग्रसित होकर सूख जाते हैं ;

यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेड़ों में होनेवाले रोगों की पहचान कर उचित उपचार कर पेड़ों को सूखने से बचाने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?
